दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
नैक द्वारा A++ श्रेणी प्रत्यायित
Accredited A++ by NAAC

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण/इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन

दिनांक : 25.09.2024

केन्द्रीय ग्रन्थालय में 03 वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 (तीन वर्ष) के लिए मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत विक्रेताओं के रूप में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशकों/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं से Advt. No. :222/ केन्द्रीय ग्रंथालय/2024, दिनांक 12-06-2024 द्वारा पूर्व में आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें संख्या में बहुत कम फर्मे ही योग्य पायी गयी और उनका पंजीकरण किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिक से अधिक फर्मो को पंजीकरण का अवसर प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तो में शिथिलता करते हुए पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निम्नानुसार निर्णय लिया है :–

1. **जिन फर्मो का वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26 एवं 2026–27 के लिए पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट किया जा चुका है, उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट मान्य होगा।**
2. **पूर्व में आवेदन करने वाली अन्य सभी फर्मो को संशोधित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र को अपडेट कर प्रेषित करना होगा।**
3. **पूर्व में आवेदन करने वाली सभी फर्मो के अतिरिक्त अन्य नयी फर्मे भी आवेदन कर सकती हैं।**
4. **सुरक्षानिधि की धनराशि रु0 1,00,000.00 (रु0 एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट आवेदन करने वाली सभी फर्मो एवं पूर्व में पंजीकृत सभी फर्मो द्वारा जमा किया जायेगा। पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् केवल योग्य पंजीकृत फर्मो के सुरक्षानिधि का ड्राफ्ट ही रखा जायेगा। शेष फर्मो का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। पूर्व में जमा रु0 तीन लाख का बैंक ड्राफ्ट सभी सम्बन्धित फर्म को वापस कर दिया जायेगा।**
5. **पंजीकरण/इम्पैनलमेनट की कार्यवाही नये निर्धारित नियम एवं शर्तों के मानक के अनुसार ही की जायेगी।**

संशोधित नियम एवं शर्तों की प्रति के साथ निर्धारित आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://ddugu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक पुस्तक विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/वितरक निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति के साथ संलग्न कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लिफाफे पर **"मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** अंकित होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र दिनांक **07–10–2024** को **सायं 5.00 बजे तक** जमा किया जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
सिविल लाइन, गोरखपुर–273009

पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड (नियम एवं शर्तें) :

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 (तीन वर्षों) के लिए केंद्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत विक्रेता के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं/प्रकाशकों/वितरकों/विक्रेताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदाकर्ता को फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफपीबीएआई)/ दिल्ली स्टेट बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएसबीपीए)/अन्य राज्य/राष्ट्रीय बुकसेलर्स और पब्लिशर्स एसोसिएशन फेडरेशन का सदस्य होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. निविदाकर्ता के आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।
3. वितरकों/विक्रेताओं को प्रस्ताव के साथ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आयात/निर्यात कोड (आईईसी) प्रमाणपत्र का लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
4. **निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी पांच केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (Institute of National Importance) में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति की हो। क्रय आदेश एवं संतुष्टिपूर्ण आपूर्ति के प्रमाण–प्रत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
5. विश्वविद्यालय द्वारा चयनित फर्म को पुस्तक आपूर्ति करने हेतु किसी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। आपूर्ति विश्वविद्यालय में निश्चित विभाग में करना होगा।
6. **निविदाकर्ता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की आपूर्ति का औसत टर्नओवर कम से कम रु0 एक करोड़ रूपये का रहा हो। पिछले तीनों वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण–पत्र एवं आडिटेड बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।**
7. आयकर के पिछले तीन एसेस्मेंट वर्ष (2023–24, 2022–23, 2021–22) का प्रमाण पत्र/विवरण की छाया प्रति संलग्न करें।
8. निविदाकर्ता को प्रकाशकों का वितरक/डीलर/स्टॉकएस्ट/कार्यकारी होना चाहिए। प्रकाशकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
9. क्रयादेश के अनुसार ही पुस्तकों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं होगा।
10. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,000/– + 18% जी.एस.टी = 3,540/–(तीन हजार पाँच सौ चालीस रूपये मात्र) (जो कि वापसी योग्य नहीं) मात्र है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो, द्वारा जमा करना है।

11. निविदाकर्ता को सुरक्षानिधि के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से रु0 1,00,000/–(रुपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। पंजीकरण अवधि के संतोषजनक समाप्ति के बाद सुरक्षानिधि फर्म को वापस कर दिया जाएगा। यदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता आदेशित की गई मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है तो उसकी सुरक्षानिधि की धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी। पंजीकरण हेतु अयोग्य पाये जाने पर फर्म की सुरक्षानिधि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षानिधि की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. पुस्तकों के केवल नवीनतम संस्करण की आपूर्ति ही स्वीकार की जाएगी।

13. आपूर्ति की गयी पुस्तकों की बाइंडिग व पेपर उत्तम स्तर का होना चाहिए अन्यथा पुस्तकों को वापस ले जाना होगा।

14. क्रयादेश के अनुसार पुस्तकों की आपूर्ति न होने, पुस्तक के पृष्ठ फटे होने पर अथवा उत्तम बाइंडिग न होने पर पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म को क्रयादेश के अनुसार पुस्तकों की नयी प्रति शीघ्र आपूर्ति करनी होगी अन्यथा उसका भुगतान नहीं किया जायेगा। क्रयादेश के अनुसार पुस्तक आपूर्ति न होने अथवा छतिग्रस्त होने पर पुस्तक फर्म को वापस ले जाना होगा। यदि तीन माह तक पुस्तक फर्म द्वारा वापस नहीं लिया गया तो उसे उपहार स्वरुप मान कर पुस्तकालय में इंट्री कर लिया जायेगा और पुस्तक आपूर्तिकर्ता के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. आपूर्ति की गई पुस्तकें बिना किसी दोष/क्षतिग्रस्त के नयी और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।

16. यदि कीमत किताब पर मुद्रित नहीं है, तो मूल्य प्रमाण के रूप में एक वैध प्रकाशक की ऑफलाइन/ऑनलाइन कैटलॉग या वेबसाइट या प्रकाशक/वितरक चालान को बिल के साथ प्रमाणित कर संलग्न किया जाना आवश्यक है।

17. छूट संरचनाः–

छूट संरचना की दरें निम्नानुसार हैं:–

All books, (except reference sources viz., handbooks, dictionaries encyclopedias and multi volume set)-	20%
Reference source viz., handbooks, dictionaries , encyclopedias and Multi volume set	30%
*Government publication	10%
Remaindered Titles/Books	50%

*There shall be no discount on such Government Publications and other publications on which the suppliers do not get any discount, on production of documentary evidence)

18. विदेशी प्रकाशन के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रूपांतरण दर बिलिंग की तारीख से लागू होगी।

19. बिल की हार्ड व सॉफटकापी केन्द्रीय ग्रन्थालय के नमूने के अनुसार विषयावार अलग–अलग

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
नैक द्वारा A++ श्रेणी प्रत्यायित
Accredited A++ by NAAC

पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड (नियम एवं शर्तें) :

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 (तीन वर्षों) के लिए केंद्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत विक्रेता के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए निम्नलखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं/प्रकाशकों/वितरकों/विक्रेताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदाकर्ता को फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफपीबीएआई)/दिल्ली स्टेट बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएसबीपीए)/अन्य राज्य/राष्ट्रीय बुकसेलर्स और पब्लिशर्स एसोसिएशन फेडरेशन का सदस्य होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. निविदाकर्ता के आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।
3. वितरकों/विक्रेताओं को प्रस्ताव के साथ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आयात/निर्यात कोड (आईईसी) प्रमाणपत्र का लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
4. **निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी पांच केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (Institute of National Importance) में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति की हो। क्रय आदेश एवं संतुष्टिपूर्ण आपूर्ति के प्रमाण–प्रत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
5. विश्वविद्यालय द्वारा चयनित फर्म को पुस्तक आपूर्ति करने हेतु किसी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। आपूर्ति विश्वविद्यालय में निश्चित विभाग में करना होगा।
6. **निविदाकर्ता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की आपूर्ति का औसत टर्नओवर कम से कम रु0 एक करोड़ रूपये का रहा हो। पिछले तीनों वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी.ए.) द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण–पत्र एवं आडिटेड बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।**
7. आयकर के पिछले तीन एसेसमेंट वर्ष (2023–24, 2022–23, 2021–22) का प्रमाण पत्र/विवरण की छाया प्रति संलग्न करें।
8. निविदाकर्ता को प्रकाशकों का वितरक/डीलर/स्टॉकएस्ट/कार्यकारी होना चाहिए। प्रकाशकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
9. क्रयादेश के अनुसार ही पुस्तकों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं होगा।
10. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,000/– + 18% जी.एस.टी = 3,540/–(तीन हजार पाँच सौ चालीस रूपये मात्र) (जो कि वापसी योग्य नहीं) मात्र है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो, द्वारा जमा करना है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
नैक द्वारा A++ श्रेणी प्रत्यायित
Accredited A++ by NAAC

पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्देश

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273009, केंद्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को ध्यान से पढ़ें।

2. इच्छुक पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं/वितरक/विक्रेताओं को बन्द लिफाफे में आवेदन जमा कराना होगा, जिस पर **"मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए।

3. आवेदन पत्र **"विश्वविद्यालय ग्रंथालयी, केंद्रीय ग्रन्थालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, गोरखपुर–273009"** को संबोधित किया जाएगा।

4. सीलबंद लिफाफा विश्वविद्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट या स्वयं कार्यालय में निर्धारित समय तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर एजेंसी/फर्म की आधिकारिक मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर।

6. अपूर्ण आवेदन पत्र या नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और आपूर्तिकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

7. किसी भी समय यदि पुस्तक आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है तो इसे अनुबंध की अवधि का उल्लंघन माना जाएगा और फर्म पैनलबद्धता को समाप्त करने या सुरक्षा निधि राशि जब्त करने के अलावा कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।

विश्वविद्यालय ग्रंथालयी
केन्द्रीय ग्रन्थालय